निदेशालय, चिकित्सा सेवायें,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

–:: कार्यालय आदेश ::–

सं०सं० :–एसीस–01 / नि०–07 / 2026 – 02 पटना, दिनांक 19-01-2026

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–83 दिनांक–09.01.2026 के आलोक में बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय "सबका सम्मान–जीवन आसान" (Ease of Living) के तहत श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार में सप्ताह के दो कार्यदिवसों (सोमवार एवं शुक्रवार) को आमलोगों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाना है। उक्त दो कार्यदिवसों को आगन्तुकों का पदाधिकारियों से मिलने का समय / स्थान निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

दिन	समय	स्थान
सोमवार	04:00–05:00	निदेशक का कार्यालय कक्ष
शुक्रवार	04:00–05:00	

02. निर्धारित दोनों कार्यदिवसों को निदेशक, चिकित्सा सेवायें आमलोगों से अपने कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। यदि निदेशक, चिकित्सा सेवायें किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री मनोज कुमार, अवर सचिव आम लोगों से मिलेंगे।

03. आगन्तुकों / शिकायतकर्त्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि सुविधाओं कों क्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

04. आगन्तुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण एवं शिकायतों को सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था श्री पंकज कुमार, प्रधान लिपिक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

05. आमलोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनांक–19.01.2026 (सोमवार) से लागू होगा।

Shishir
19.1.26

(कुमारी शिशिर भारती)
निदेशक, चिकित्सा सेवायें।

ज्ञापांक:–एसीस–01 / नि०–07 / 2026 – 77 पटना, दिनांक 19-01-2026

प्रतिलिपि:–मा० मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के सचिव / सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, निदेशालय चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी०मैनेजर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shishir
19.01.26

निदेशक, चिकित्सा सेवायें।